

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), UTTARAKHAND

(Oberai Motors Building, Saharanpur road, Majra, Dehradun-248171)

Phone no: 0135-2644967, Fax no: 0135-2644965

UNDER SPECIAL SEAL AUTHORITY

72516 3091
29/3

SI.NO.	Principals NAME OF THE OFFICE
1	The Accountant General (A&E) Andhra Pradesh Amaravati Andhra Pradesh.
2	The Accountant General (A&E) Telangana headquarters Hyderabad.
3	The Accountant General (A&E) Jharkhand, Ranchi
4	The Accountant General (A&E) II Bihar, Patna
5	The Accountant General (A&E) I, Gujarat, Rajkot
6	The Accountant General (A&E) II, Gujarat, Ahmadabad
7	The Pr. Accountant General (A&E) Kerala, MG road, PB No. 5607, Thiruvananthapuram - 695039
8	The Accountant General (A&E) Madhya Pradesh, Gwalior
9	The Accountant General (A&E) -1 Madhya Pradesh, Bhopal
10	The Pr. Accountant General (A&E) Tamil Nadu, Chennai-600018
11	The Pr. Accountant General (A&E) I, Maharashtra, Mumbai
12	The Accountant General (A&E) II, Maharashtra, Nagpur
13	The Pr. Accountant General (A&E) Karnataka, Bangalore
14	The Pr. Accountant General (A&E) Orissa, Bhubneshwar
15	The Pr. Accountant General (A&E) Haryana, Chandigarh
16	The Pr. Accountant General (A&E) U.T., Chandigarh
17	The Accountant General (A&E) Himachal Pradesh, Shimla-171003
18	The Pr. Accountant General (A&E) Rajasthan, Jaipur
19	The Pr. Accountant General (A&E) West Bengal, Treasury Building Kolkata - 700001
20	The Accountant General (A&E) I UP, Allahabad
21	The Accountant General (A&E) II UP, Allahabad, 20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad 211001
22	The Accountant General (A&E) Jammu & Kashmir, Srinagar
23	The Accountant General (A&E) Manipur, Imphal
24	The Accountant General (A&E) Tripura, Agartala
25	The Pr. Accountant General (A&E) Assam, Guwahati
26	The Accountant General (A&E) Uttrakhand, Dehradun
27	The Pr. Accountant General (A&E) Meghalaya, Shillong
28	The Accountant General (A&E) Nagaland, Kohima
29	The Accountant General (A&E) Chhattisgarh, Raipur
30	The Director of Audit & Pension, Govt. of Arunachal Pradesh, Naharlagun-791110
31	The Chief Controller of Accounts, Ministry of External Affairs, Akbar Bhawan, Chanakyapuri, New Delhi 110021
32	The Government of Goa, Directorate of Accounts, Pension Section, Panaji, Goa.
33	The Pay & Accounts Officer-V, Govt. of NCT of Delhi, Delhi
34	The Accountant General (A&E) Sikkim, Gangtok
35	The Accountant General (A&E) Mizoram Aizawl

Subject:- Release of 7 % instalment of Dearness Allowance and Dearness Relief to
the Punjab Government Employees and Pensioners w.e.f. 1.1.2017.

Sir,

Please find enclosed herewith copy of Punjab Government Finance Department Letter No.7/44/2015-1 FP 1/ 551 Dated CHANDIGARH ,21/12/2016 for further lease necessary action at your end.

It is requested that this order may be circulated to all District Treasury officers under your accounting circle.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully


P. T. O

Old Pr. Accountant General (A&E)
AP & Telangana, Hyderabad
06-APR-17



469810

DGP



कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक्क) उत्तराखण्ड,

(ओबराय मोटर्स, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248171)

फोन नं: 0135-2643684, फैक्स नं: 0135- 2643683

"विशेष मुद्रा प्राधिकार"

पत्रांक-पी.ए./पेंशन/2016-17/ २९८०

दिनांक- २७.०३.१७

सेवा में,

प्रधान/महालेखाकार (लेखा एवं हक्क)

विषय- सातवे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णय के क्रम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01/01/2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्ति सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

सन्दर्भ - (1) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-266/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 30/12/2016

(2) सचिव, उत्तराखण्ड शासन, वित्त अनुभाग, शासनादेश संख्या-267/45/XXVII(10)/2016 दिनांक- 30/12/2016

महोदय,

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी उपरोक्त आदेशों की प्रतियाँ संगलन कर प्रेषित की जा रही हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त आदेश अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारीयों को प्रसारित कर नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें तथा एक प्रति इस कार्यालय को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्न-यथोपरि

भवदीय

३०३.०३.१७
वरिष्ठ लेखाधिकारी/पेंशन

12/12/2017

संख्या:- २६६/४५/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेरी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में

1. समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग-10

देहरादून : दिनांक : ३०, दिसम्बर, 2016

विषय:- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन / ग्रैच्युटी / पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग-एक में पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या-289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनर्स / पारिवारिक पेंशनर्स के पेंशन / पारिवारिक पेंशन / ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश दिनांक 01.01.2016 से प्रभावी समझे जाएंगे।

2— यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनर्सों तथा पारिवारिक पेंशनर्सों पर (जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85 दिनांक 08.08.1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-सा-3-1720/दस-308-97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनर्सों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा० उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई

अंशदान पेंशन योजना के सदस्यों, शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, यूजी०सी० के मानरूपों के अन्तर्गत आच्छादित शिक्षकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपकरणों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे, जब तक कि शासन के अन्यथा आदेश न हो।

3— (1) इस आदेश के अधीन की जा रही व्यवस्थायें उन कर्मचारियों पर भी लागू होंगी, जो दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके उपरान्त सेवानिवृत्त अथवा सेवा में रहते हुए दिवंगत हुए हों।

(2) जिन सरकारी सेवकों के मामले में दिनांक 01.01.2016 को अथवा उसके उपरान्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन/डैथ एवं सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी एवं पेंशन के एक भाग के राशिकरण की स्वीकृति पूर्व व्यवस्था के अनुसार निर्गत की जा चुकी है, उनका पुनरीक्षण, इस आदेश में निहित प्रक्रिया के अधीन किया जाएगा। यदि इस आदेश में निहित व्यवस्था के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण पेंशनर्स के लिए लाभप्रद न हो, तो उन प्रकरणों में ऐसा पुनरीक्षण नहीं किया जाएगा।

4— (1) परिलब्धियों— पेंशन एवं अन्य सेवानैवृत्तिक लाभों (सेवानैवृत्तिक/डैथ ग्रैच्युटी को छोड़कर) की गणना हेतु परिलब्धियों से तात्पर्य उस वेतन से है, जैसा कि वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-9(21)(1) में परिभाषित है और जिसे कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि के ठीक पूर्व अथवा मृत्यु की तिथि को प्राप्त कर रहा था।

(2) वेतन— वेतन का आशय वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग—एक में की गई संस्तुतियों के अनुक्रम में राजकीय कर्मचारियों के दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमान विषयक उत्तराखण्ड सरकारी सेवक वेतन नियम, 2016 के नियम-3 के अनुसार मूल वेतन से तात्पर्य संशोधित ढाँचे में दिनांक 01.01.2016 से लागू वेतन मैट्रिक्स के निर्धारित स्तर (Level) में आहरित वेतन से है। जिसमें किसी प्रकार का विशेष वेतन, वैयक्तिक वेतन एवं अनुमन्य अन्य प्रकार का वेतन आदि सम्मिलित न होगा।

(3) सेवानैवृत्तिक/डैथ—कम—ग्रैच्युटी की गणना हेतु सेवानिवृत्ति/मृत्यु की तिथि को अनुमन्य मंहगाई भत्ते को सम्मिलित किया जाएगा।

5— पेंशन— पेंशन का आगणन पूर्व की भौति मूल वेतन के 50 प्रतिशत के समतुल्य होगा। पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु. 9000/- होगी। पेंशन की अधिकतम सीमा रु. 112500/- (राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 01.01.2016 से अनुमन्य अधिकतम वेतन रु. 225000/- के 50% के बराबर) होगी।

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रु0 9000/- से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रु0 9000/- निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6— 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 01.01.2016 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जाय:-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वर्ष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार-पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे।

7— पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा—

- (1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भाँति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी।
- (2) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।
- (3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह के अंतिम दिवस में आहरित वेतन

या 10 माह की औसत परिलब्धियों जो भी कर्मचारी को लाभकारी हो, के 50 प्रतिशत के बराबर पेंशन अनुमन्य होगी।

(4) यदि अर्हकारी सेवा 10 वर्ष से अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम है तो पेंशन की राशि आनुपातिक रूप से कम हो जायेगी परन्तु यह राशि किसी भी दशा में रु0 9,000/- प्रतिमाह से कम नहीं होगी।

8— सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/मृत्यु ग्रैच्युटी—

(अ) मृत्यु ग्रैच्युटी की दर निम्न प्रकार से संशोधित की जायेगी:-

अर्हकारी सेवा की अवधि	मृत्यु ग्रैच्युटी की दर
01 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 02 गुना
01 वर्ष से अधिक किन्तु 05 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 06 गुना
05 वर्ष या अधिक किन्तु 11 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 12 गुना
11 वर्ष या अधिक किन्तु 20 वर्ष से कम	मासिक परिलब्धियों का 20 गुना
20 वर्ष या उससे अधिक	अर्हकारी सेवा की प्रत्येक पूर्ण छमाही अवधि के लिये परिलब्धियों के 1/2 के बराबर होगी जिसकी अधिकतम सीमा अन्तिम आहरित परिलब्धियों के 33 गुने के बराबर अथवा रु0 20 लाख, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।

(ब) सेवानैवृत्तिक ग्रैच्युटी/डैथ ग्रैच्युटी की अधिकतम धनराशि की सीमा रु0 20.00 लाख (रु0 बीस लाख मात्र) से अधिक नहीं होगी। इस विषय में अधिकतम अवधि 33 वर्ष में प्रति वर्ष 15 दिन का मानक पूर्ववत् रहेगा।

9— पारिवारिक पेंशन—

(1) पारिवारिक पेंशन की गणना अन्तिम आहरित वेतन के 30 प्रतिशत की दर पर सामान्य रूप से की जायेगी। पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम धनराशि रु0 9000/- प्रतिमाह होगी तथा अधिकतम धनराशि राज्य सरकार के अधिकतम वेतन की धनराशि रु0 2,25,000/- के 30 प्रतिशत तक सामान्य दर पर सीमित होगी। दिवंगत हुये सरकारी सेवक के प्रकरण में अन्य प्रक्रियाओं को यथावत् रखते हुए बढ़ी दर (50%) पर पारिवारिक पेंशन निम्नवत् अनुमन्य होगी:-

(क) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

(ख) पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा दिवंगत पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु "परिवार" की परिभाषा पूर्ववत् समय-समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत् यथावत् है।

10— पेंशन के एक भाग का राशिकरण— पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात् 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भाँति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

11— इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

12— पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं गैच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

13— दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)

सचिव, वित्त

संख्या:- २६६/४५/XXVII(10)/2016 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित :-

- 1— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2— महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 4— निदेशक, पेशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5— निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 6— निदेशक, कोषागार, पेशन एवं हकदारी, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
- 7— समस्त मुख्य/वरिष्ठ/कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 8— प्रभारी, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एल०एन०० पंत)

अपर सचिव